(32)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2013–2014/निगरानी – R-305-III/14

श्रीमती शीला श्री राजेन्द्र सिंह लोधी आयु 60 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी वार्ड–1, पटेरा रोड, नगर के पास, ग्राम हिन्डोरिया, तहसील व जिला दमोह

–– आवेदिका

विरूद्ध

1– भगवत प्रसाद पिता उमा प्रसाद निवासी भटिया तहसील पटेरा, जिला दमोह

2– आशाराम पुत्र गया प्रसाद साहू निवासी भटिया तहसील पटेरा जिला दमोह

3– गोविन्द सिंह पुत्र शंकर सिंह लोधी निवासी जिला दमोह

4– गया प्रसाद पुत्र रघुनन्दन प्रसाद ब्राम्हण निवासी जिला दमोह

5– सरपंच ग्राम पंचायत भटिया द्वारा उदय सिंह लोधी जिला दमोह

–– अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांकी 29 08 2007 पारित द्वारा श्री आर.सी. मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी, हटा, जिला दमोह (म0प्र0) प्रकरण कमांक 47–अ/25 वर्ष 2006–07 वउनवान भगवत प्रसाद बनाम शीला एवं अन्य

श्रीमान महोदय,

अपीलार्थी का आवेदन पत्र निम्नांकित प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षप्ति तथ्य

1– यहकि, आवेदिका ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 110 भू–राजस्व संहिता का ग्राम मौजा लहारी हल्का नं. 3 मे 3.38 हेक्टर तथाग्राम मौजा भटिया

(18)

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-304-तीन/2016 जिला दमोह शीला विरूद्ध भगवत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदिका एवं अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हटा, जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 47-अ/25 वर्ष 2006-07 में पारित आदेश दिनांक 29-09-2007 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-01-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर दमोह के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह को अंतरित किया जाता	

21.12.18

है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर दमोह के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

21.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य